

उ0प्र0 आवास एव विकास परिषद की 247वीं बैठक
दिनांक 16 जनवरी, 2019 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 247वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :-

1-	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2-	श्री अजय चौहान	आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3-	श्री विशाल भारद्वाज	अपर आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद	सचिव
4-	श्री धर्मेन्द्र वर्मा	वित्त नियंत्रक, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5-	श्री ए0के0 शुक्ला	मुख्य अभियंता, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
6-	श्री एस0के0 रायतानी	मुख्य वास्तुविद नियोजक, आ0वि0 परिषद	सदस्य
7-	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
8-	श्री सी.एस.बनौधा	उप निदे., प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव सचिव सार्व.उ0वि0	सदस्य
9-	श्री पी0एन0 सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण	विशेष आमन्त्री सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :-

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
247/1	परिषद की 246वीं बैठक दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 246वीं बैठक दि0 10.09.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
247/2	परिषद की 246वीं बैठक दिनांक 10 सितम्बर, 2018 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 246वीं बैठक दि0 10.09.2018 की अनुपालन आख्या का मद वार अवलोकन किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

247/3	परिषद योजनाओं में दिव्यांगजनों को 3% के स्थान पर 5% आरक्षण एवं भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रितों हेतु 3% क्षेत्रीय आरक्षण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश को अंगीकृत किया गया।
247/4	गाजियाबाद-मेरठ, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर0आर0टी0एस0) गलियारे का कार्यान्वयन हेतु परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में किराये/लीज के आधार पर भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
247/5	परिषद की विभिन्न योजनाओं में केन्द्रीय एवं राजकीय शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग एवं ऐसी सार्वजनिक उपक्रम जो राज्य सरकार के अधीन हो बल्क में फ्लैट क्रय किए जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि सभी तरह की सम्पत्तियों के निस्तारण में एकमुश्त धनराशि जमा किये जाने पर मूल्य में 5 प्रतिशत की धनराशि की छूट तत्काल प्रभाव से दिये जाने का अनुमोदन किया गया।

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

[1]

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष

247/6	परिषद योजनाओं में आवंटित शैक्षिक भूखण्डों के आवंटन के पश्चात् आवंटी संस्था द्वारा आवंटन निरस्त किये जाने के अनुरोध पर परिषद द्वारा जब्त की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव मात्र 5% की कटौती कर शेष जमा टोकन धनराशि वापस किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। संस्थान के पत्र दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर-2 जिसमें विभिन्न सामाजिक सरोकारो यथा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्वच्छता मिशन एवं अन्य कार्य किये जाने का उल्लेख है, वापस की जाने वाली धनराशि का उपयोग इन्हीं सामाजिक कार्यों में व्यय किये जाने तथा तदसंबंधी कृत कार्यवाही प्रस्तुत किये जाने के निर्देश संस्थान को दिये जाये। सामाजिक सरोकारो के प्रति संस्था के सुनिश्चय के दृष्टिगत इसे दृष्टान्त अनुमन्य नहीं किया जायेगा।
247/7	सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में स्थित रिजर्व ग्रीन फील्ड क्षेत्र में गोल्फ कोर्स के निर्माण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रस्ताव इस आशय से अनुमोदित किया "रुचि की अभिव्यक्ति" (Expression of interest) का समाचार पत्रों में प्रकाशन कर प्राप्त प्रस्तावों तथा सी0टी0सी0पी0 के मन्तव्य को प्राप्त करके परीक्षणोपरान्त परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
247/8	जागृति विहार योजना संख्या-6 मेरठ में आवासीय भूखण्ड संख्या-4/155ए (क्षेत्रफल-268.85 वर्गमीटर) को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया तथा आवेदक को इस आशय की सूचना प्रदान की जाये कि उक्त आवासीय भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
247/9	परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ में स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या Com-A-1 के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त मा0 निदेशक मण्डल द्वारा परिषद की 239वीं बैठक के मद सं0-34 पर लिये गये निर्णय बिन्दु(अ) के क्रम में रिट याचिका के लम्बित अवधि में अवशेष धनराशि जमा कराते हुए नियमानुसार भूखण्ड के निबन्धन की कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

अभियन्त्रण अनुभाग

247/10	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबिल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत ग्राम कनकहा, मोहनलालगंज, लखनऊ में 1344 (जी+3) प्रकार के ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण कार्य की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
--------	---	---

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त


[2]

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष


247/11	मझोला योजना संख्या-4 भाग-2 (विस्तार) मुरादाबाद के सेक्टर-15 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 1200 नग (जी+3) प्रकार के भवनों का निर्माण कार्य की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
247/12	मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबिल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत 6000 नग (जी+3) प्रकार के ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण कार्य की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
247/13	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित (जी+3) ई0डब्लू0एस0 भवनों की शासन से स्वीकृत लागत से बढ़ रही लागत को परिषद की अन्य भूमि पर भारित करने के संबंध में प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
247/14	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत परिषद की योजनाओं में तथा जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई निःशुल्क भूमि पर निर्मित किये जाने वाले भवनों की, शासन से स्वीकृत लागत से बढ़ रही लागत के कारण भवनों के मूल्यांकन के लिये मूल्यांकन निर्देशिका में संशोधन हेतु प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

समन्वय अनुभाग

247/15	जनहित याचिका-14588/2009 स्नेहलता सिंह "सेलेन्टा" व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.03.2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन के संबंध में।	अंगीकृत किया गया।
247/16	स्व0 श्री अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन उप निदेशक के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में चिकित्सा सम्बन्धी कर्मचारियों के सभी मामलों में प्रतिपूर्ति हेतु निर्णय लेने के लिए आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया। जो शासन/परिषद के सुसंगत नियमों के तहत उनका निस्तारण करेंगे।


(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

[3]



(नितिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग


247/17	गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में परिषद की आवासीय योजनाओं में केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के नोएडा व ग्रेटर नोएडा क्षेत्र हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अन्तिम आदेशों तक जारी अधिसूचना दिनांक 16, जनवरी 2013 के फलस्वरूप मानचित्र स्वीकृति में जल शुल्क रोपित न किये जाने के संबंध में।	इस सम्बन्ध में गत पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सी0टी0सी0पी0 की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी थी। तत्समय कार्यरत सी0टी0सी0पी0 की अध्यक्षता में कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि "चूँकि उ0प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा आवंटियों को जल का वितरण केवल घरेलू उपयोग के लिए ही किया जा सकता है एवं विकासकर्ता को भूमिगत जल उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। अतः उनसे जल शुल्क लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।" बैठक में उपस्थित वर्तमान में कार्यरत सी0टी0सी0पी0 द्वारा यह बताया गया कि पूर्व सी0टी0सी0पी0 की राय पर उन्हें कुछ नहीं कहना है। लेकिन उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जल शुल्क आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर एक नियमावली तैयार की जा रही है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि उक्त नियमावली बनाते समय उक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेने हेतु शासन को यह प्रस्ताव भेज दिया जाये तथा नियमावली बनाने के उपरान्त उसके प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाये।
247/18	श्री करन महाना, निदेशक, के0वी0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, प्रा0लि0 के पी0डब्ल्यू0डी0 हाउसिंग सोसाइटी, केशवपुरम् योजना सं0-1, कानपुर में स्थित गुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-GH/Ar-41/7B,10,11 को व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
247/19	इन्दिरानगर योजना के डी-ब्लॉक में स्थित 05 नग स्कूटर गैरेज सं0 जी-1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एवं 1/6 (कुल क्षेत्रफल 55.84 वर्गमी0) का भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित करने के संबंध में	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव, विस्तृत ले-आउट प्लान के साथ आगामी परिषद बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

विधि अनुभाग

247/20	अनाधिकृत निर्माण को सीलबन्द करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 82 में संशोधन किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
--------	---	---


(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

[4]


(नितिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष

प्रशासन अनुभाग


247/21	परिषद कार्मिकों को दिनांक 01.07.2018 से 9% से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
247/22	वर्ष 2017-18 की अनुग्रह धनराशि (एक्सग्रेसिया) के भुगतान के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा कार्मिकों के सेवा लाभ (चालको के मानदेय के संबंध में अथवा अन्य) के संबंध में निर्गमित होने वाले शासनादेशों के अंगीकरण/अनुपालन के प्रकरण मा0 परिषद के समक्ष प्रस्तुत न किये जाय इस हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
247/23	सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता की सेवा विनियमावली में शैक्षिक अर्हता में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त सहायक अभियन्ता विद्युत/यान्त्रिक के Qualification में Degree in Electrical Engineering के स्थान पर Degree in Electrical/ Mechanical Engineering संशोधन उचित पाया गया। अवर अभियन्ताओं का प्रस्ताव यथा स्वीकृत अवलोकित कर लिया गया है।
247/24	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में आउट सोर्सिंग से अवर अभियन्ता एवं लेखाकार रखे जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुशासनिक अनुभाग

247/25	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री दिलीप कुमार शुक्ला, सेवानिवृत्त प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्धक, श्री आर0पी0 श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्धक, श्री पी0के0 अस्थाना, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाधिकारी एवं श्री इन्द्र कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
--------	---	---

लखनऊ जोन

247/26	परिषद की विकास नगर योजना, लखनऊ में पटेल सेवा संस्थान के पक्ष में आवंटित संस्थागत भूखण्ड संख्या-11/ आई.एन.एस0-05 क्षेत्रफल 3085.25 वर्ग मीटर, के स्थान पर अन्य योजना में similar भूखण्ड आवंटन किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
--------	--	---


(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

[5]



(नित्रिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष


लेखानुभाग

247/27	परिषद द्वारा नगर के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में योगदान संबन्धी शासनादेश के क्रियान्वयन को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या 5081/9-आ-1-1998 दिनांक 15.12.2018 अभी तक परिषद द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है। तदस्थिति में पूर्वगामी तिथि से इसे लागू किया जाना सम्भव नहीं है। तदनुसार महालेखाकार को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये।
247/28	परिषद कार्मिको को पेंशरी बेनीफिट्स अवमुक्त किये जाने हेतु सेवानिवृत्त कार्मिकों/ तकनीकी विशेषज्ञों की सेवायें संहत मानदेय पर लिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव 01 वर्ष हेतु अनुमोदित किया गया।
247/29	परिषद के वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

247/30	कानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 अम्बेडकरपुरम में समाविष्ट आराजी सं0-273 के जुज भाग रकबा 279.12 वर्गमी0 के बेटरमेन्ट एवं उससे लगी भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी परिषद बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
247/31	परिषद की ट्रान्स यमुना योजना, द्वितीय चरण, आगरा में समाविष्ट ग्राम नरायच स्थित खसरा संख्या-2716 पर निर्मित अनाधिकृत निर्माणों की भूमि को वर्तमान विकसित भूमि दर पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी परिषद बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
247/32	परिषद की वृन्दावन यो0 सं0-3 लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बरौली खलीलाबाद के खसरा सं0-1544 मि0 में प्रस्तावित 30.00 मी0 चौड़ी सड़क पर बने अवैध निर्माण के समायोजन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
247/33	जागृति विहार, विस्तार योजना सं0-11, मेरठ में परिषद द्वारा किये जा रहे ट्रंक नाले के एलाईन्मेंट में आ रही प्राईवेट भूमि को लिए जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
247/34	योजना सं0-7, शास्त्रीनगर, मेरठ स्थित जयदेवी नगर नामक अवैध बस्ती के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी परिषद बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
247/35	अरतौनी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-5, आगरा के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी परिषद बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।



(अजय चौहान)
आवास आयुक्त


(नितिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष


247/36	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बरौना के सेक्टर-7 बी में मै0 ए0पी0आई0 के पक्ष में योजना से पृथक की गयी 74.876 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि प्रस्ताव के प्रस्तर एक में 6.954 एकड़ भूमि के सापेक्ष कुल देयता 50 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त तत्काल जमा करनी होगी।
247/37	परिषद की दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-8 (शाकुम्भरी विहार योजना), सहारनपुर के जल-मल निस्तारण हेतु अर्जित योजना सं0-9, सहारनपुर के रजिस्ट्री की धनराशि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि रजिस्ट्री किस दर पर की जायेगी उसका निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
247/38	परिषद की कोटदार रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 नजीबावाद जनपद बिजनौर ग्राम-इब्राहिमपुर राजू नजीबावाद जिला-बिजनौर में स्थित खसरा सं0-50 की 1209 हे0 भूमि में लगभग 3000.00 वर्गमी0 समाधि की भूमि को अर्जन मुक्त/समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी परिषद बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
247/39	वृन्दावन योजना संख्या-2, भाग-1 लखनऊ में स्थित ग्राम-हैवत मऊ मवैया के खसरा संख्य-2218 की 120.00 वर्गमी0 भूमि पर श्री रामखेलावन द्वारा किये गये अवैध निर्माण को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूति की देयता में समायोजित करके भूखण्ड संख्या-4बी /70 सर्शत आवंटन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
247/40	वृन्दावन योजना लखनऊ से सम्बन्धित किसानों को उनकी अर्जित भूमि सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि दिये तथा वर्ष-2002 से पूर्व के स्थित निर्माणों के समायोजन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी परिषद बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

247/41	परिषद कार्यालयों में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से सामग्री एवं सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेशों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
--------	---	---


(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

[7]


(निलिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग


247/42	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में स्थित भवन संख्या-सी-651 का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में निर्णय लिया गया।
247/43	भूखण्ड संख्या-सी-678, प्रहलादपुरी योजना, (नगेहटा रोड़) हरदोई का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव आपत्तियों के आमंत्रण की कार्यवाही किये जाने निर्णय लिया गया।


वित्त एवं लेखानुभाग

247/44	परिषद सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में निर्णय लिया गया।
--------	--	--

प्रशासन अनुभाग

247/45	दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
247/46	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	<p>(1) सम्पत्ति परिवर्तन शुल्क : बहुमंजिले भवनों में सम्पत्ति परिवर्तन हेतु सम्पत्ति विनियमों में एक प्रतिशत परिवर्तन शुल्क लिये जाने का प्राविधान है, ऐसे प्रोजेक्ट जिनके क्रियान्वयन चरणवार किया जाना प्रस्तावित है इसे प्रोजेक्ट में आवंटित सम्पत्तियों के आवंटियों को एक समूह/ब्लाक में समायोजित किये जाने पर परिवर्तन शुल्क शिथिल किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया कि किस परियोजना में सम्पत्ति परिवर्तन शुल्क नहीं लागू होगा। उसका निर्णय अपर आवास आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी, जिसमें वित्त नियंत्रक, मुख्य अभियन्ता, सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सम्बन्धित उप आवास आयुक्त/सहायक आवास आयुक्त सदस्य रहेंगे।</p> <p>(2) क्रेडिट रेटिंग : मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ द्वारा विभिन्न विकास प्राधिकरणों की क्रेडिट रेटिंग करायी गयी है, तदानुक्रम में परिषद की क्रेडिट रेटिंग करायी जाये।</p> <p>(3) एकाउन्ट मेन्चुअल : एकाउन्ट मेन्चुअल के कम्प्यूटराइजेशन के प्रथम चरण में मुख्यालय के लेखा का दिनांक 31.03.2019 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाय।</p>


(अजय चौहान)
आवास आयुक्त


(नितीन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष

	<p>(4) ग्लोबल कान्स्ट्रक्शन एवं कन्सलटेंसी सेल : जी०सी०सी० द्वारा नवीन तकनीक के आधार पर विपणन रणनीति तैयार की जाय तथा अपने कौशल पर फोकस केन्द्रित करते हुए एक सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। जी०सी०सी० को प्रदेश के बाहर कार्यों को लेने हेतु अधिकृत किया जाता है।</p> <p>(5) परिषद द्वारा निष्पादित किश्त किराया अनुबंध में यह उल्लेख रहता है कि परिषद/शासन द्वारा बनाये गये नियम समय-समय पर लागू होंगे किन्तु इसका अनुपालन परिषद द्वारा योजनाओं की परिसम्पत्तियों में व्याज की दरों के निर्धारण में नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में एक सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। इसके अतिरिक्त पी०एस०पी० (Partial Surrender Policy) पर भी अन्य प्राधिकरणों का अध्ययन कर एक सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।</p>
--	--


(अजय चौहान)
आवास आयुक्त


(निदिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष